

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

सीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस  
संख्या :- 14/2020

शीर्षक

हिताश पुत्र स्व० हरसहाय, उम्र-35 वर्ष  
वरी देवी पत्नी स्व० हरसहाय, उम्र-60 वर्ष  
समस्त जाति गुर्जर निवासी मामटोरी कलां, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज०।

वादीगण

बनाम

मर्जुनलाल पुत्र साधूराम दत्तक पुत्र जमनाराम  
उमराव सिंह पुत्र सूरजमल  
साधूराम पुत्र सूरजमल  
बाबूडी देवी पुत्री सूरजमल  
गीता देवी पुत्री सूरजमल  
बीसी देवी पत्नी सूरजमल  
बदरी पुत्र साधूराम  
नान्ना उर्फ बल्ला पुत्र छोटू  
बाबूलाल पुत्र चन्दा  
मुरली देवी पत्नी चन्दा  
कानाराम पुत्र स्व० प्रहलाद  
मेघराम पुत्र स्व० प्रहलाद  
मनीषा पुत्री स्व० प्रहलाद  
मिन्दू पुत्री स्व० प्रहलाद  
मीनू पुत्री स्व० प्रहलाद  
मुरली देवी पत्नी स्व० प्रहलाद  
जयपाल पुत्र सुवालाल  
ममता देवी पुत्री सुवालाल  
गैन्दी देवी पुत्री सुवालाल  
गायत्री देवी पुत्री सुवालाल  
गुलाब देवी पुत्री सुवालाल  
नारायण उर्फ श्रवणी पत्नी सुवालाल  
माला पुत्र सुंसा उर्फ सुखा  
धोली देवी पत्नी सुंसा उर्फ सुखा  
तीजा देवी पुत्री सुंसा उर्फ सुखा  
छोटा पुत्री सुंसा उर्फ सुखा  
समस्त जाति गुर्जर निवासी मामटोरी कलां, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज०।



7. प्रबंधक दी जयपुर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लि० शाखा तह० शाहपुरा जयपुर।
8. प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर तह० शाहपुरा जयपुर।
9. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा तह० शाहपुरा जयपुर।
10. प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि० शाखा मनोहरपुर तह० शाहपुरा जयपुर।
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तह० शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 22/09/2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख० नं० 1060/1.32, 1061/1.21, 1062/1.63, 1087/0.01, 1088/1.40, 1089/1.32, 1090/1.66, 29/0.17, 8/0.17, 851/0.23, 852/0.14, 853/0.27, 859/0.16, 861/0.02, 862/0.16, 865/0.14, 866/0.15, 868/0.18, 884/0.05, 885/0.10, 886/0.12, 887/0.13, 890/0.18, 891/0.12, 893/0.12, 894/0.12, 899/0.22, 9/0.16 हैं कुल कित्ता 28 कुल रकबा 11.66 है० भूमि वाकै ग्राम मामटोरी कलां पटवार हल्का नवलपुरा तह० शाहपुरा जयपुर में स्थित है, जो कि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 लगायत 23 की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादी सं० 1 का हिस्सा 5/216 भाग व वादी सं० 2 का हिस्सा 1/108 भाग की खातेदारी दर्ज

सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

व रिकार्ड है। खातेदार सुवा पुत्र गोपाल फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं० 17 लगायत 22 विधिक सान व उत्तराधिकारी है।

यह कि हाल आराजी खाता सं० 86 के हाल आराजी ख० न० 5/0.11, 6/0.14 है कुल किता 2 कुल 0.25 है० वाकै ग्राम मामटोरी कलां, पटवार हल्का नवलपुरा तह० शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। कि वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 लगायत 26 की संयुक्त सहखातेदारी की है जिसमें वादी सं० 1 का सा 5/216 भाग व वादी सं० 2 का हिस्सा 1/108 भाग की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खातेदार पुत्र छोटू फौत हो चुका है जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में सुवा पुत्र छोटू लिखा हुआ है। जबकि तबिक नाम सुवा पुत्र गोपाल है जिसके प्रतिवादी सं० 17 लगायत 22 विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी तथा खातेदार सुखा उर्फ सुंसा पुत्र छोटू भी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं० 23 लगायत 26 धेक वारिसान है।

यह कि वादीगण वाद पत्र के जिमन नं० 1 लगायत 2 में वर्णित आराजी पर अपने हिस्से अनुसार मलाती रूप से काबिज रहकर बिना किसी बाधा के आराजी का उपयोग उपभोग व काश्त करते हुये चले रहे है तथा वादीगण इसी अनुसार राज में मांग के अनुरूप लगान भी जमा कराते चले आ रहे है।

यह कि वादीगण दिनांक 26.01.2020 को अपनी आराजी मुतनाजा की साफ सफाई का कार्य कर रहे थे तभी प्रतिवादीगण अपने साथ 5-7 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और हाथों से इशारा करके जमीन खाने लगे जिस पर वादीगण ने उनसे जमीन दिखाने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण एकदम से भडक गये और कहा कि हम उक्त व्यक्तियों को अपनी जमीन का बेचान करेगे और यहा पर पुख्ता निर्माण कार्य करेगे जबकि वपादीगण ने उनसे कहा कि हमारी भूमि का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है आप उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा करवाकर भूमि बेचान कर लेना इतना सुनते ही प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये और वादीगण के साथ झगडा फिसाद करने पर आमादा हो गये जिस पर आस पडौस के काश्तकारों ने आकर प्रतिवादीगण को समझा बुझकर शांत किया किंतु प्रतिवादीगण जाते समय एलानियां धमकी देकर गये कि हम जल्द ही आराजी मुतनाजा का बेचान करेगे और तुम्हे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण वादीगण को अपने हक अधिकार व स्वामित्व की आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इस प्रकार अब वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ शामिल मकें काश्त करना संभव नहीं रहा है इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

5. यह कि वादीगण वाद के जिमन नं. 1 लगायत 2 में वर्णित आराजी के रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार होने होने के कारण आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। इस कारण भी आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस-नरस के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

6. यह कि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबों में कामयाब हो गये और उन्होने बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर प्रतिवादी सं० 32 के यहां अन्तरणडीड करवाकर वादीगण को बेदखल कर दिया तथा वादीगण के कब्जे हक अधिकार की आराजी मुतनाजा के किसी विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण कार्य कर वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपने हक अधिकार की आराजी से जबरन महरूम होना पडेगा और वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा और वादीगण को अनेकों मुकदमों में फंसना पडेगा।

अन्त में निवेदन किया कि: हाल आराजी ख० नं० 1060/1.32, 1061/1.21, 1062/1.63, 1087/0.01, 1088/1.40, 1089/1.32, 1090/1.66, 29/0.17, 8/0.17, 851/0.23, 852/0.14, 853/0.27, 859/0.16, 861/0.02, 862/0.16, 865/0.14, 866/0.15, 868/0.18, 884/0.05, 885/0.10, 886/0.12, 887/0.13, 890/0.18, 891/0.12, 893/0.12, 894/0.12, 899/0.22, 9/0.16 है० कुल किता 28 कुल रकबा 11.66 है० भूमि वाकै ग्राम मामटोरी कलां तह० शाहपुरा जयपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डर्स एवं नरस सरस के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे तथा उक्त बंटवारे में आई भूमि पर वादी का अलग से कब्जा करवाया जावे तथा बंटवारे का रजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को हमेशा हमेशा कि लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं० 1, 8,17 व 23 लगा० 26 जरिये वकील उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 23.01.23 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने बंटवारा हेतु कुर्रैजात रिपोर्ट मंगवाने पर सहमति जाहिर की, प्रकरण उक्त दिनांक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को कुर्रैजात रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। प्रकरण में तहसीलदार तहसील शाहपुरा के पत्रांक/कैम्प/2023/85 दिनांक 02.06.2023

बटवारा हेतु कुर्रजात रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में दिनांक 06.09.2023 को वकील उभयपक्ष उपस्थित होकर कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार बटवारा करने हेतु पत्रावली की आदेशिका पर नोट प्रेस किया। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 20.09.2023 नियत की गई। उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण संख्या 17, 23 लगा 26 उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली व कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कुर्रजात रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं होने से यह जाहिर है कि पक्षकारान बटवारा रिपोर्ट सहमत है। उक्त विवेचन के आधार पर दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

तः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख0 नं0 1060/1.32, 1061/1.21, 1062/1.63, 1087/0.01, 1088/1.40, 1089/1.32, 1090/1.66, 29/0.17, 8/0.17, 851/0.23, 852/0.14, 853/0.27, 859/0.16, 861/0.02, 862/0.16, 865/0.14, 866/0.15, 868/0.18, 884/0.05, 885/0.10, 886/0.12, 887/0.13, 890/0.18, 891/0.12, 893/0.12, 894/0.12, 899/0.22, 9/0.16 है0 कुल कित्ता 28 कुल रकबा 11.66 है0 भूमि वाकै ग्राम मटोरी कलां तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार अंशित किया जाता है -

1. अर्जुनलाल पुत्र साधू दत्तक जमना राम जाति गुर्जर राहिन दी जयपुर सेन्द्रल को0 ऑ0 बैंक लियो जयपुर शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/3 रकबा 0.0926, 1061/1 रकबा 0.5779, 1062/4 रकबा 0.5142, 1061/5 रकबा 0.0097, 1090/9 रकबा 0.1764, 1090/5 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.3958 है0 भूमि रहेगी।

2. बन्ना पुत्र छोटू जाति गुर्जर राहिन दी सेन्द्रल को0 ऑ0 बैंक लियो जयपुर शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/5 रकबा 0.5474, 1061/2 रकबा 0.0874, 1062/1 रकबा 0.5600, 1090/10 रकबा 0.1764, 1090/6 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.3958 है0 भूमि रहेगी।

3. माला पुत्र सूसा जाति गुर्जर सा0 देह राहिन आईसीआईसीआई मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 1088/7 रकबा 0.2754, 1089/4 रकबा 0.2485, 1089/2 रकबा 0.3380, 1090/1 रकबा 0.3090, 1090/13 रकबा 0.01, 1089/6 रकबा 0.0270, 1090/14 रकबा 0.1630, 1090/3 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.3959 है0 भूमि रहेगी।

4. श्रवणी पत्नी सुवालाल हि0 1/6, गेंदी गुलाब, गायत्री, ममता पुत्रियां सुवालाल हि0 4/6, जयपाल पुत्र सुवालाल हि0 1/6 जाति गुर्जर सा0 देह राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/6 रकबा 0.03, 1061/4 रकबा 0.5174, 1062/2 रकबा 0.3170, 1088/1 रकबा 0.3200, 1087 रकबा 0.01, 1090/11 रकबा 0.1764, 1090/7 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.3958 है0 भूमि रहेगी।

5. बाबूलाल पुत्र चन्दा हि0 2/3 राहिन आरएमजीबी बैंक शाखा मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 1088/8 रकबा 0.3535, 1089/1 रकबा 0.2935, 1088/9 रकबा 0.0840, 1089/5 रकबा 0.3006, 1090/12 रकबा 0.3392, 1090/4 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.3958 है0 भूमि रहेगी।

6. उक्त पक्षकारों के शामिल हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/7 रकबा 0.0030, 1061/3 रकबा 0.0180, 1062/3 रकबा 0.02, 1088/3 रकबा 0.01, 1088/4 रकबा 0.0160, 1088/8 रकबा 0.0160, 1089/3 रकबा 0.0120, 1089/7 रकबा 0.0080, 1090/2 रकबा 0.0720, 29 रकबा 0.17, 8 रकबा 0.17, 851 रकबा 0.23, 852 रकबा 0.14, 853 रकबा 0.27, 859 रकबा 0.16, 861 रकबा 0.02, 862 रकबा 0.16, 865 रकबा 0.14, 866 रकबा 0.15, 868 रकबा 0.18, 884 रकबा 0.05, 885 रकबा 0.10, 886 रकबा 0.12, 887 रकबा 0.13, 890 रकबा 0.13, 891 रकबा 0.12, 893 रकबा 0.12, 894 रकबा 0.12, 899 रकबा 0.22, 9 रकबा 0.16 है0 कुल कित्ता 30 कुल रकबा 3.2850 है0 भूमि रहेगी।

7. बंदी पुत्र साधू जाति गुर्जर सा0 देह राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/2 रकबा 0.2157, 1088/6 रकबा 0.1688, 1062/7 रकबा 0.0125 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.3970 है0 भूमि रहेगी।

8. उमराव सिंह, नाथूराम, गीता देवी, बाबूडी पि0 सूरजमल, घीसीदेवी पत्नी सूरजमल जाति गुर्जर सा0 देह हि0 बराबर के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/4 रकबा 0.2157, 1062/5 रकबा 0.1813 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3970 है0 भूमि रहेगी।

9. रोहिताश पुत्र हरसहाय हि0 5/12, भंवरी पत्नी हरसहाय हि0 1/6, कानाराम पुत्र प्रहलाद हि0 11/72, मेघराज पुत्र प्रहलाद हि0 11/72, मनीषा, मिन्दू, मीनू पुत्रियां प्रहलाद, मुरली देवी पत्नी प्रहलाद हि0 1/9 जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में आराजी ख0 न0 1060/1 रकबा 0.2156, 1088/5 रकबा 0.1583, 1062/6 रकबा 0.0250 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.3969 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर

द्वि पुत्र साधू हि० 1/3 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर, उमरावसिंह, नाथूराम, गीता देवी,  
देवी पि० सूरजमल, घीसी देवी पत्नी सूरजमल हि० 1/3, भंवरी पत्नी हरसहाय हि० 1/18  
ज पुत्र प्रहलाद हि० 11/216, कानाराम पुत्र प्रहलाद हि० 11/216, रोहिताश पुत्र हरसहाय हि०  
6, मनीषा, मिन्दू, मीनू पुत्रियं प्रहलाद, मुरली देवी पत्नी प्रहलाद हि० 1/27 जाति गुर्जर सा० देह के  
में आराजी ख० न० 1090/15 रकबा 0.0876, 1089/8 रकबा 0.0924, 1090/8 रकबा 0.0250 है०  
किता 3 कुल रकबा 0.2050 है० भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।  
नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण  
तिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी  
मजाहमत एवं दखलन्दाजी पंदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/09/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।  
वली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



सहायक कमिश्नर  
शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण**

न्यायाधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस  
संख्या :- 14/2020

शीर्षक

हिताश पुत्र स्व० हरसहाय, उम्र-35 वर्ष  
श्री देवी पत्नी स्व० हरसहाय, उम्र-60 वर्ष  
संस्त जाति गुर्जर निवासी मामटोरी कलां, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज०।

वादीगण

बनाम

- अर्जुनलाल पुत्र साधूराम दत्तक पुत्र जमनाराम  
मराव सिंह पुत्र सूरजमल  
साधूराम पुत्र सूरजमल  
बाबूडी देवी पुत्री सूरजमल  
गीता देवी पुत्री सूरजमल  
धीसी देवी पत्नी सूरजमल  
बदरी पुत्र साधूराम  
बन्ना उर्फ बल्ला पुत्र छोदू  
बाबूलाल पुत्र चन्दा  
मुरली देवी पत्नी चन्दा  
कानाराम पुत्र स्व० प्रहलाद  
मेघराम पुत्र स्व० प्रहलाद  
मनीषा पुत्री स्व० प्रहलाद  
मिन्दू पुत्री स्व० प्रहलाद  
मीनू पुत्री स्व० प्रहलाद  
मुरली देवी पत्नी स्व० प्रहलाद  
जयपाल पुत्र सुवालाल  
ममता देवी पुत्री सुवालाल  
गैन्दी देवी पुत्री सुवालाल  
गायत्री देवी पुत्री सुवालाल  
गुलाब देवी पुत्री सुवालाल  
नारायण उर्फ श्रवणी पत्नी सुवालाल  
माला पुत्र सुंसा उर्फ सुखा  
धोली देवी पत्नी सुंसा उर्फ सुखा  
तीजा देवी पुत्री सुंसा उर्फ सुखा  
छोटा पुत्री सुंसा उर्फ सुखा



- समस्त जाति गुर्जर निवासी मामटोरी कलां, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज०।  
27. प्रबंधक दी जयपुर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लि० शाखा तह० शाहपुरा जयपुर।  
28. प्रबंधक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर तह० शाहपुरा जयपुर।  
29. प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा तह० शाहपुरा जयपुर।  
30. प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लि० शाखा मनोहरपुर तह० शाहपुरा जयपुर।  
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील-शाहपुरा, जिला जयपुर।  
32. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर तह० शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

**दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट 1955**

निर्णय दिनांक 22/09/2020

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी ख० नं० 1060/1.32, 1061/1.21, 1062/1.63, 1087/0.01, 1088/1.40, 1089/1.32, 1090/1.66, 29/0.17, 8/0.17, 851/0.23, 852/0.14, 853/0.27, 859/0.16, 861/0.02, 862/0.16, 865/0.14, 866/0.15, 868/0.18, 884/0.05, 885/0.10, 886/0.12, 887/0.13, 890/0.18, 891/0.12, 893/0.12, 894/0.12, 899/0.22, 9/0.16 हैं० कुल कित्ता 28 कुल रकबा 11.66 हैं० भूमि वाकें ग्राम मामटोरी कलां तह० शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

1. अर्जुनलाल पुत्र साधू दत्तक जमना राम जाति गुर्जर राहिन दी जयपुर सेन्ट्रल को० ऑ० बैंक लि० जयपुर शाखा शाहपुरा के हिस्सों में आराजी ख० नं० 1060/3 रकबा 0.0926, 1061/1 रकबा 0.5779,

सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

4 रकबा 0.5142, 1061/5 रकबा 0.0097, 1090/9 रकबा 0.1764, 1090/5 रकबा 0.0250 है।  
किता 6 रकबा 1.3958 है। भूमि रहेगी।

पुत्र छोटू जाति गुर्जर राहेन दी सेन्द्रल को 0 ऑफ बैंक लि 0 जयपुर शाखा शाहपुरा के हिस्से में  
जी ख 0 न 0 1060/5 रकबा 0.5474, 1061/2 रकबा 0.0874, 1062/1 रकबा 0.5600, 1090/10  
0.1764, 1090/6 रकबा 0.0250 है। कुल किता 5 कुल रकबा 1.3958 है। भूमि रहेगी।

पुत्र सूसा जाति गुर्जर सा 0 देह राहिन आईसीआईसीआई मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख 0 न 0  
08/7 रकबा 0.2754, 1089/4 रकबा 0.2485, 1089/2 रकबा 0.3380, 1090/1 रकबा 0.3090,  
00/13 रकबा 0.01, 1089/6 रकबा 0.0270, 1090/14 रकबा 0.1630, 1090/3 रकबा 0.0250 है।  
किता 8 कुल रकबा 1.3958 है। भूमि रहेगी।

पत्नी सुवालाल हि 0 1/6, गेंदी, गुलाब, गायत्री, ममता पुत्रियां सुवालाल हि 0 4/6, जयपाल पुत्र  
वालाल हि 0 1/6 जाति गुर्जर सा 0 देह राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख 0  
0 1060/6 रकबा 0.03, 1061/4 रकबा 0.5174, 1062/2 रकबा 0.3170, 1088/1 रकबा 0.3200,  
087 रकबा 0.01, 1090/11 रकबा 0.1764, 1090/7 रकबा 0.0250 है। कुल किता 7 कुल रकबा 1.  
3958 है। भूमि रहेगी।

बाबूलाल पुत्र चन्दा हि 0 2/3 राहिन आरएमजीबी बैंक शाखा मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख 0 न 0  
088/2 रकबा 0.3535, 1089/1 रकबा 0.2935, 1088/9 रकबा 0.0840, 1089/5 रकबा 0.3006,  
090/12 रकबा 0.3392, 1090/4 रकबा 0.0250 है। कुल किता 6 कुल रकबा 1.3958 है। भूमि रहेगी।

उक्त पक्षकारों के शामिलति हिस्से में आराजी ख 0 न 0 1060/7 रकबा 0.0030, 1061/3 रकबा 0.  
0180, 1062/3 रकबा 0.02, 1088/3 रकबा 0.01, 1088/4 रकबा 0.0160, 1088/8 रकबा 0.0160,  
1089/3 रकबा 0.0120, 1089/7 रकबा 0.0080, 1090/2 रकबा 0.0720, 29 रकबा 0.17, 8 रकबा 0.  
017, 851 रकबा 0.23, 852 रकबा 0.14, 853 रकबा 0.27, 859 रकबा 0.16, 861 रकबा 0.02, 862 रकबा  
0.16, 865 रकबा 0.14, 866 रकबा 0.15, 868 रकबा 0.18, 884 रकबा 0.05, 885 रकबा 0.10, 886 रकबा  
0.12, 887 रकबा 0.13, 890 रकबा 0.18, 891 रकबा 0.12, 893 रकबा 0.12, 894 रकबा 0.12, 899 रकबा  
0.22, 9 रकबा 0.16 है। कुल किता 30 कुल रकबा 3.2850 है। भूमि रहेगी।

बंदी पुत्र साधू जाति गुर्जर सा 0 देह राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर के हिस्से में आराजी ख 0 न 0  
1060/2 रकबा 0.2157, 1088/6 रकबा 0.1688, 1062/7 रकबा 0.0125 है। कुल किता 3 कुल रकबा  
0.3970 है। भूमि रहेगी।

उमराव सिंह, नाथूराम, गीता देवी, बाबूडी पि 0 सूरजमल, घीसीदेवी पत्नी सूरजमल जाति गुर्जर सा 0  
देह हि 0 बराबर के हिस्से में आराजी ख 0 न 0 1060/4 रकबा 0.2157, 1062/5 रकबा 0.1813 है। कुल  
किता 2 कुल रकबा 0.3970 है। भूमि रहेगी।

रोहिताश पुत्र हरसहाय हि 0 5/12, भंवरी पत्नी हरसहाय हि 0 1/6, कानाराम पुत्र प्रहलाद हि 0  
11/72, मेघराज पुत्र प्रहलाद हि 0 11/72, मनीषा, मिन्दू, मीनू पुत्रियां प्रहलाद, मुरली देवी पत्नी  
प्रहलाद हि 0 1/9 जाति गुर्जर सा 0 देह के हिस्से में आराजी ख 0 न 0 1060/1 रकबा 0.2156, 1088/5  
रकबा 0.1563, 1062/6 रकबा 0.0250 है। कुल किता 3 कुल रकबा 0.3969 है। भूमि रहेगी।

बंदी पुत्र साधू हि 0 1/3 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मनोहरपुर, उमरावसिंह, नाथूराम, गीता देवी,  
बाबूडी देवी पि 0 सूरजमल, घीसी देवी पत्नी सूरजमल हि 0 1/3, भंवरी पत्नी हरसहाय हि 0 1/18  
मेघराज पुत्र प्रहलाद हि 0 11/216, कानाराम पुत्र प्रहलाद हि 0 11/216, रोहिताश पुत्र हरसहाय हि 0  
5/36, मनीषा, मिन्दू, मीनू पुत्रियां प्रहलाद, मुरली देवी पत्नी प्रहलाद हि 0 1/27 जाति गुर्जर सा 0 देह  
के हिस्से में आराजी ख 0 न 0 1090/15 रकबा 0.0876, 1089/8 रकबा 0.0924, 1090/8 रकबा 0.0250  
है। कुल किता 3 कुल रकबा 0.2050 है। भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादीगण /प्रतिवादीगण को  
स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी तरह मजाहमत एवं  
दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 22/09/2013 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर (पु) राज.  
शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल जाड		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस जाड	